ए.

मंजीत सिंह सोधी बनाम

ग्राहक और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 5126) अगस्त 04,2022

बी.

[डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़ और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]**

विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का विचारण) अधिनियम, 1992।3(2), 4(2), 10, 11 – सीमा अधिनियम, 1963-एस.18, 29(2) – परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण के लिए निर्देश-तृतीय प्रत्यर्थी -निगम ने एफ. एफ. एस. एल. (द्वितीय प्रत्यर्थी) से 25 लाख रुपये के अल्पकालिक ऋण का लाभ उठाया था और 180 दिनों के बाद 20 प्रतिशत ब्याज के साथ इसका भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी-केंद्र सरकार ने 1992 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम प्रत्यर्थी को अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया-एफ. एफ. एस. एल. ने 3 करोड़ रुपये की राशि की वसूली के लिए तीसरे प्रत्यर्थी के खिलाफ विविध याचिका दायर की। 25 लाख रुपये, ब्याज के साथ-साथ विशेष न्यायालय ने तीसरे प्रत्यर्थी को ब्याज के साथ एफ. एफ. एस. एल. को 4 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया-एफ. एफ. एस. एल. ने तीसरे प्रत्यर्थी को क्रमशः 3 और 5 पर मूल्यह्रास राशि के भुगतान के लिए दो नोटिस जारी किए-दिनांक 2 के संचार द्वारा, अपीलार्थी ने 5 लाख रुपये की मूल राशि का भुगतान करने की पेशकश की। 25 लाख और ब्याज की माफी की मांग की और अपने प्रस्ताव के अनुसरण में, अपीलार्थी ने एक लाख की राशि का भुगतान किया-पहले प्रत्यर्थी ने विशेष न्यायालय के समक्ष निष्पादन आवेदन दायर किया-अपीलार्थी ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि यह सीमा द्वारा वर्जित था-विशेष न्यायालय ने अपीलार्थी और तीसरे प्रत्यर्थी की संपत्तियों के प्रकटीकरण का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया-इसने आगे कहा कि अपीलार्थी स्पष्ट रूप से दायित्व को स्वीकार करता है, इसलिए, पहले प्रत्यर्थी का दावा सीमा द्वारा वर्जित नहीं है-अपील पर कहा गयाःएल. एस. सिंथेटिक्स लिमिटेड में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर, विशेष न्यायालय द्वारा जारी किए गए अंतिम निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है-विवादित आदेश में निहित टिप्पणियां परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण के लिए निर्देश जारी करने के उद्देश्य से थीं और संरक्षक (प्रथम प्रतिवादी) को यह आग्रह करने से नहीं रोकेगी कि 1963 के अधिनियम का निष्पादन आवेदन पर कोई आवेदन नहीं था जो दिनांकित 28.02.2003 डिक्री के प्रवर्तन के लिए दायर किया गया था-अपीलार्थी

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

165 ए.

166 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 7 एस. सी. आर.

निष्पादन आवेदन में अपनी प्रस्तुतियों का आग्रह करने के अपने अधिकार के अधीन संपत्ति का खुलासा दायर करने का निर्देश दिया।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** एक "अंतर्वर्ती आदेश" एक अंतरिम या अस्थायी आदेश को दर्शाता है जो पक्षों के महत्वपूर्ण अधिकारों या देनदारियों को तय नहीं करता है।विशेष न्यायालय ने **6** मार्च **2020** के अपने आदेश में निर्णायक रूप से कहा है कि निष्पादन याचिका पर कोई सीमा नहीं है।सीमा के मुद्दे का निर्धारण पक्षों के अधिकारों और देनदारियों को प्रभावित करता है।इस प्रकार, प्रथम अपीलार्थी का यह तर्क कि **1992** के अधिनियम की धारा **10** को देखते हुए अपील विचारणीय नहीं है, खारिज कर दिया जाता है।**[**पैरा **13] [173-**डी**-**ई**]**

बी.

सी.

2. 1963 के अधिनियम की धारा **18** में कहा गया है कि यदि किसी अधिकार के संबंध में किसी मुकदमे या आवेदन के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले लिखित रूप में दायित्व की स्वीकृति की जाती है, तो उस समय से सीमा की एक नई अवधि की गणना की जाएगी जब स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए गए थे।धारा **18** के स्पष्टीकरण **(**ग**)** में कहा गया है कि किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन को किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में आवेदन नहीं माना जाएगा।वर्तमान मामले में, विशेष न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि अपीलार्थी के **22** फरवरी **2018** के पत्र द्वारा दायित्व की स्वीकृति थी।उस निष्कर्ष पर अपीलार्थी द्वारा यह आग्रह करते हुए हमला करने की कोशिश की जाती है कि **1963** के अधिनियम की धारा **18** के तहत दायित्व की स्वीकृति सीमा की अवधि के भीतर होनी चाहिए और वर्तमान मामले में यह परीक्षण संतुष्ट नहीं है।दूसरी ओर, प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि विशेष न्यायालय के निर्णय का आधार कि **1963** का अधिनियम आकर्षित होगा, एल एस सिंथेटिक्स लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत चलेगा।

एल एस सिंथेटिक्स लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर, विशेष न्यायालय द्वारा जारी किए गए अंतिम निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।आक्षेपित आदेश में निहित टिप्पणियां परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण के लिए निर्देश जारी करने के उद्देश्य से थीं और अभिरक्षक को यह आग्रह करने से नहीं रोकेंगी कि **1963** के अधिनियम का निष्पादन आवेदन पर कोई आवेदन नहीं था जो **28** फरवरी **2003** की डिक्री को लागू करने के लिए दायर किया गया था।परिसंपत्तियों और अन्य परिणामी ए के प्रकटीकरण के लिए निर्देश

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

167

मंजीत सिंह सोधी बनाम ग्राहक और हमारा।

जो निर्देश जारी किए गए हैं, वे इस अपील में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।अपीलार्थी को परिसंपत्तियों का खुलासा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाता है, बशर्ते उसे निष्पादन आवेदन में अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का आग्रह करने का अधिकार हो।इस बीच, न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त निर्देशानुसार चार सप्ताह के भीतर परिसंपत्तियों का खुलासा करने की शर्त पर गिरफ्तारी के लिए आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निष्पादन आवेदन का निर्णय नहीं हो जाता।**[**पारस **17-20] [176-F-H; 177-A-E]**

बी.

मोहन लाल मगन लाल ठाकरे बनाम गुजरात राज्य

1968 एससी **733:[1968]** एस**.** सी**.** आर**. 685-**अनुसरण किया गया।

सी.

एल एस सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम फेयरग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

और दूसरा (2004) 11 एस. सी. सी. 456:[2004] 4 पूरक।एस. सी. आर. 109-निर्भर।

फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड बनाम कस्टोडियन **(2004) 11** एस**.** सी**.** सी**.**

472 :[2004] 5 पूरक।एस. सी. आर. 505; अमर नाथ बनाम हरियाणा राज्य, (1977) 4 एस. सी. सी. 137:[1978] 1 एस. सी. आर. 222-संदर्भित।

डी.

संदर्भित निर्णय

[2004] 4 पूरक।एससीआर **109**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **7**

ई.

[2004] 5 पूरक।एससीआर **505**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

[1968] एससीआर **685**

पीछा किया।

पैरा **12**

[1978] 1 एससीआर **222**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 5126।

एफ.

2000 के विविध आवेदन सं. 15 में 2019 के निष्पादन आवेदन सं. 2 में विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का विचारण) अधिनियम, 1992 के निर्णय और आदेश से।

जी.

हुज़ेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री ललिता कोहली, सुश्री शाहरुख आलम, मनोज शुक्ला, अभिषेक स्वरूप, मैसर्स मनोज स्वरूप एंड कंपनी, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

अरविंद कुमार तिवारी, अभिषेक तिवारी, तुषार उप्रेती, योशा दत्त, अनुपम उप्रेती, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

एच.

168

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 7 एस सी आर।

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपील विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का परीक्षण) अधिनियम 1992 1 के तहत गठित विशेष न्यायालय के 6 मार्च 2020 के एक फैसले उद्भूत हुई है है।विशेष न्यायालय का निर्णय संरक्षक द्वारा दायर एक निष्पादन आवेदन से उत्पन्न होता है, जो पहला प्रत्यर्थी है, जो 2019 का निष्पादन आवेदन संख्या 1 है।

बी.

3. फेयरग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 2, दूसरा प्रत्यर्थी , कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत कंपनी है।तीसरे प्रत्यर्थी रविराज हाउसिंग कॉरपोरेशन ने एफ. एफ. एस. एल. से 25 लाख रुपये का अल्पकालिक ऋण लिया था और 180 दिनों के बाद 20 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ इसे चुकाने के लिए सहमत हुए थे।पहला प्रत्यर्थी 1992 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त संरक्षक होता है।संरक्षक ने 1992 के अधिनियम की धारा 3 (2) के प्रावधानों के तहत दूसरे प्रत्यर्थी को "अधिसूचित व्यक्ति" के रूप में अधिसूचित किया। 3 एफ. एफ. एस. एल. की परिसंपत्तियाँ 2 जुलाई 1992 से कुर्क की गईं।एफ. एफ. एस. एल. का मामला यह था कि तीसरे प्रत्यर्थी ने 14 अक्टूबर 1991 को ऋण के पुनर्भुगतान के लिए एक वचन पत्र और पच्चीस लाख रुपये चुकाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एक वचन-सह-क्षतिपूर्ति पत्र निष्पादित किया था।एफ. एफ. एस. एल. ने बीस प्रतिशत की दर से ब्याज सहित पच्चीस लाख रुपये की राशि की वसूली के लिए तीसरे प्रत्यर्थी के खिलाफ 2000 की विविध याचिका संख्या 15 की स्थापना की।28 मार्च 2003 को, विशेष न्यायालय ने तीसरे प्रत्यर्थी को याचिका की स्थापना की तारीख से भुगतान और/या प्राप्ति तक पच्चीस लाख रुपये की मूल राशि पर बीस प्रतिशत ब्याज के साथ एफ. एफ. एस. एल. को एक लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।4. 28 अप्रैल 2003 को, एफ. एफ. एस. एल. द्वारा तीसरे प्रत्यर्थी को अवमूल्यन राशि के भुगतान के लिए एक नोटिस जारी किया गया था।इसके बाद पहले प्रत्यर्थी द्वारा 16 दिसंबर 2011 को एक नोटिस जारी किया गया था।22 फरवरी 2018 को, अपीलार्थी ने पहले प्रत्यर्थी को संबोधित करते हुए कहा कि रविराज हाउसिंग के पूर्व ट्रस्टी

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

1 “1992 का अधिनियम "

2 “एफएफएसएल "

3 धारा 3 (2) "कई अभिरक्षक, इस जानकारी पर संतुष्ट होने पर कि कोई भी व्यक्ति 1 अप्रैल 1991 के बाद और 6 जून, 1992 को और उससे पहले प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित किसी भी अपराध में शामिल रहा है, आधिकारिक राजपत्र में ऐसे व्यक्ति के नाम को अधिसूचित करता है।”

एच.

169

मंजीत सिंह सोधी बनाम ग्राहक और हमारा। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

निगम, जो इसके मामलों की देखभाल कर रहा था, की 2004 में मृत्यु हो गई और अपीलार्थी अपनी मृत्यु के बाद ट्रस्टी बन गया।उक्त संचार द्वारा, अपीलार्थी ने पँचिश लाख रुपये की मूल राशि का भुगतान करने की पेशकश की और ब्याज से छूट की मांग की।10 जुलाई 2018 को एक संचार द्वारा पहले प्रत्यर्थी ने कहा कि डिक्रिटल राशि पर ब्याज की माफी का निर्णय 1992 के अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय के पास है।अभिरक्षक ने कहा कि ब्याज माफी की मांग करने वाले विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर होने तक, मूल राशि को शीघ्रता से एफ. एफ. एस. एल. को भेजा जाना चाहिए।अपने प्रस्ताव के अनुसार, अपीलार्थी ने एक लाख रुपये की राशि का भुगतान किया।हालाँकि, रविराज हाउसिंग कॉर्पोरेशन के वकील ने 19 अक्टूबर 2018 को एक और संचार भेजा जिसमें कहा गया था कि चूंकि अपीलार्थी 2005 में श्री एल. वी. व्हाबी की मृत्यु के बाद ही ट्रस्टी बना, जो निगम के मामलों का संचालन करते थे, इसलिए वह तीसरे प्रत्यर्थी के बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।यह भी कहा गया था कि तीसरे प्रत्यर्थी न्यास की कोई आय नहीं है।दावों की पुष्टि करने के लिए वर्ष 2002-2003 के लिए शून्य वार्षिक आयकर विवरणी की एक प्रति प्रस्तुत की गई थी।

बी.

सी.

डी.

5. पहले प्रत्यर्थी ने विशेष न्यायालय के समक्ष एक निष्पादन आवेदन 4 दायर किया।निष्पादन आवेदन को अपीलार्थी द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह सीमा द्वारा वर्जित था। अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि हालाँकि डिक्री 2003 में दी गई थी, लेकिन संरक्षक द्वारा पहली मांग सोलह साल बाद 16 दिसंबर 2011 को की गई थी और देरी की व्याख्या नहीं की गई है। 14 जून 2019 को, विशेष न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें अपीलार्थी और तीसरे प्रत्यर्थी की संपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया गया।विशेष न्यायालय ने 6 मार्च 2020 के अपने फैसले में कहा कि अपीलार्थी कार्यवाही में देरी करने का प्रयास कर रहा है।विशेष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रथम प्रत्यर्थी का दावा सीमा कानून द्वारा वर्जित नहीं है क्योंकिः

ई.

एफ.

(i) अपीलार्थी ने 22 फरवरी 2018 और 11 अगस्त 2018 को अभिरक्षक को संबोधित पत्रों में बकाया राशि का भुगतान करने के दायित्व को स्वीकार किया और ब्याज से छूट की मांग की।अपीलार्थी ने रविराज हाउसिंग कॉर्पोरेशन के बैंक खाते से मांगे गए ड्राफ्ट के माध्यम से 1 करोड़ रुपये की राशि भी भेजी, जिसमें कथित तौर पर शेष राशि केवल 2 करोड़ रुपये की राशि में है। 15, 036।बैंक खाते का उपयोग चुनिंदा रूप से न्यूनतम शेष राशि दिखाने के लिए किया गया है लेकिन धन है

जी.

4 निष्पादन आवेदन सं। 2019 का 1

एच.

डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए उपलब्ध कराया गया।इस प्रकार, अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से दायित्व स्वीकार किया; और

(ii) अन्यथा भी, निष्पादन आवेदन अभिरक्षक द्वारा दायर किया गया है जो 1992 के अधिनियम के अनुसार राशि की वसूली करने का हकदार और उत्तरदायी है।

बी.

6. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हुज़ेफा ए अहमदी ने कहा किः

(i) जब डिक्री पारित की गई थी तब अपीलार्थी ट्रस्ट का हिस्सा नहीं था, क्योंकि वह केवल 2005 में ट्रस्टी बना था और किसी भी स्थिति में, अपीलार्थी की व्यक्तिगत संपत्तियों को डिक्री की संतुष्टि में संलग्न नहीं किया जा सकता है;

सी.

(ii) अपीलार्थी का 22 फरवरी 2018 का पत्र दायित्व को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन, वास्तव में, भुगतान करने के लिए केवल एक 'पूर्वाग्रह के बिना' प्रस्ताव है; और

(iii) किसी भी स्थिति में, 22 फरवरी 2018 को जारी की गई पावती सीमा की अवधि से परे है क्योंकि डिक्री 2003 की है और सीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 136 द्वारा निर्धारित सीमा लागू होगी।

डी.

7. दूसरी ओर, प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार तिवारी ने एल. एस. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम फेयरग्रोथ मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया है।

ई.

फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य 6 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

1963 के अधिनियम के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब कोई मुकदमा दायर किया जाता है या किसी राशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की जाती है।निर्णय में कहा गया है कि 1963 के अधिनियम में 1992 के अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में किसी अधिसूचित व्यक्ति की देनदारियों के निर्वहन के उद्देश्य से विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित दावों के लिए कोई आवेदन नहीं होगा।

एफ.

8. इस निवेदन के जवाब में, श्री अहमदी ने आग्रह किया है कि एल एस सिंथेटिक्स (ऊपर) में निर्णय को दो-न्यायाधीशों द्वारा समझाया गया है।

फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड बनाम कस्टोडियन 7 में पीठ, जहां

जी.

पहले के निर्णय में अवलोकन के प्रावधानों तक सीमित रहे हैं

5 “1963 का अधिनियम "

6 (2004) 11 एससीसी 456 7 (2004) 11 एससीसी 472 ए

एच.

मंजीत सिंह सोधी बनाम ग्राहक और हमारा। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

1992 के अधिनियम की धारा 11 और उस प्रावधान के तहत विशेष न्यायालय द्वारा कार्यवाही।

9. इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य होगा कि प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित श्री तिवारी ने इस आधार पर अपील की स्थिरता को चुनौती देने की मांग की है कि 1992 के अधिनियम की धारा 10 एक अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में अपील को बाहर करती है।धारा 10 का सार नीचे दिया गया हैः

बी.

"10. अपील-(1) संहिता (या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या मध्यस्थता अधिनियम 1940) में कुछ भी होने के बावजूद, तथ्यों और कानून दोनों पर सर्वोच्च न्यायालय में विशेष न्यायालय के किसी भी निर्णय [डिक्री] सजा या आदेश के खिलाफ अपील होगी, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है।"

सी.

10. अपील की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति का जवाब देते हुए, अपीलार्थी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि विशेष न्यायालय ने वर्तमान मामले में यह अभिनिर्धारित करते हुए सीमा के पहलू का निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी द्वारा 22 फरवरी 2018 को दायित्व की स्वीकृति दी गई थी।विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि अपीलार्थी के खिलाफ सीमा का मुद्दा समाप्त हो गया है, इसलिए विशेष न्यायालय के निर्णय को, सार में, वार्ताकार प्रकृति का नहीं माना जा सकता है।

डी.

11. विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेश परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण के लिए है।संदर्भ की सुविधा के लिए, विशेष न्यायालय के निर्देशों का कार्यात्मक भाग नीचे निकाला गया हैः

ई.

"((i)।प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. 1 और 2 को अपनी संपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है।प्रत्यर्थी नं. 2 को सभी व्यक्तिगत परिसंपत्तियों, संयुक्त रूप से और अन्य के साथ रखे गए शेयरों के साथ-साथ सीमित कंपनियों के बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाकघर बचत और अन्य प्रतिभूतियों के शेयरों का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है, जो सभी आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर दायर किए जाने वाले हलफनामे में प्रकट किए जाएंगे।

एफ.

((ii) इस बीच प्रत्यर्थी सं। 2 आज से दो सप्ताह के भीतर आयकर अधिकारियों के साथ पंजीकृत अपने स्थायी खाता संख्या का भी खुलासा करेगा।यदि ऐसा खुलासा नहीं किया जाता है तो संबंधित आयकर आयुक्त अभिरक्षक को पैन प्रदान करेंगे, जिसके आधार पर अभिरक्षक को सभी आवश्यक विवरण देने का निर्देश दिया जाता है।

जी.

एच.

उपरोक्त पक्षों से संपत्ति की जांच और प्रकटीकरण की मांग करता है।

(iii) अभिरक्षक एन. एस. डी. एल. और सी. डी. एस. एल. को पत्र भेजकर उनसे शेयरों और शेयरों और बांडों और पारस्परिक निधियों में सभी लेनदेनों के खातों के विवरण की प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए कहेगा जो प्रत्यर्थी सं. 2 अपने नाम से और किसी तीसरे पक्ष के साथ संयुक्त रूप से, प्रत्यर्थी सं। 1 और 2 संयुक्त रूप से और अलग से या किसी तीसरे पक्ष के साथ, प्रत्यर्थी सं।2. एन. एस. डी. एल. और सी. डी. एस. एल. को निर्देश दिया जाता है कि वे आगे के निर्देशों के लिए इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ ऐसी मांग की प्राप्ति के एक सप्ताह की अवधि के भीतर अभिरक्षक के अनुरोध का पालन करें।

बी.

सी.

((iv) इस बीच प्रार्थना खंड (ग) के संदर्भ में एक अंतरिम आदेश होगा जो इस प्रकार हैः

(ग) कि वर्तमान आवेदन की अंतिम सुनवाई और निपटान तक, प्रत्यर्थी संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 2 और/या उनके एजेंटों, वकीलों को इस माननीय विशेष न्यायालय के एक आदेश द्वारा अपनी सभी या ऐसी संपत्तियों और अन्य चल और अचल संपत्तियों के संबंध में किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकारों को बेचने या स्थानांतरित करने या अलग करने या किसी भी तरह से निपटाने या निपटाने या कब्जा करने या अलग करने या बनाने से रोक दिया जाए, जो डिक्रीटल राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

डी.

ई.

(v) अनुपालन के लिए 20 मार्च, 2020 को सूचीबद्ध करें।”

12. मोहन लाल मगन लाल ठाकरे बनाम गुजरात राज्य 8 के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने 'अंतिम आदेश' और 'अंतर्वर्ती आदेश' के बीच अंतर निम्नानुसार कियाः

एफ.

“4. यह सवाल कि क्या कोई निर्णय या आदेश अंतिम है या नहीं, कई निर्णयों का विषय रहा है; फिर भी अंतिमता के लिए कोई भी सामान्य परीक्षण अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। इसका कारण संभवतः यह है कि कोई निर्णय या आदेश एक उद्देश्य के लिए अंतिम और दूसरे के लिए अंतर्वर्ती या भाग के रूप में अंतिम और भाग के रूप में अंतर्वर्ती हो सकता है।इसलिए, दो शब्दों "अंतिम" और "अंतर्वर्ती" के अर्थ पर उस विशेष उद्देश्य के संबंध में अलग से विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए यह आवश्यक है।हालांकि,

जी.

8 ए. आई. आर 1968 एस. सी. 733 ए

एच.

173

मंजीत सिंह सोधी बनाम ग्राहक और हमारा। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

आम तौर पर, एक निर्णय या आदेश जो विचाराधीन प्रमुख मामले को निर्धारित करता है, उसे अंतिम कहा जाता है।यह अंतिम हो सकता है, हालांकि यह पूछताछ का निर्देश देता है या एक अंतर्वर्ती आवेदन पर किया जाता है या

लागू करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखता है [हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानून (तीसरा संस्करण।)

खण्ड. 22, 742-43]।कुछ अंग्रेजी निर्णयों में जहां यह प्रश्न उत्पन्न हुआ, निम्नलिखित चार परीक्षणों में से एक या दूसरे को लागू किया गया था।

बी.

1. क्या किसी आवेदन पर ऐसा आदेश दिया गया था कि किसी भी पक्ष के पक्ष में निर्णय मुख्य विवाद का निर्धारण करेगा?2. क्या यह एक ऐसे आवेदन पर किया गया था जिस पर मुख्य विवाद का फैसला किया जा सकता था?

सी.

3. क्या दिए गए आदेश से विवाद का निर्धारण होता है?

4. यदि विचाराधीन आदेश को उलट दिया जाता है, तो क्या कार्रवाई जारी रखनी होगी?”

13. एक "अंतर्वर्ती आदेश" एक अंतरिम या अस्थायी आदेश को दर्शाता है जो पक्षों के महत्वपूर्ण अधिकारों या देनदारियों को तय नहीं करता है।9 विशेष न्यायालय ने 6 मार्च 2020 के अपने आदेश में निर्णायक रूप से कहा है कि निष्पादन याचिका पर कोई सीमा नहीं है।सीमा के मुद्दे का निर्धारण पक्षों के अधिकारों और देनदारियों को प्रभावित करता है।इस प्रकार, प्रथम अपीलार्थी का यह तर्क कि 1992 के अधिनियम की धारा 10 को देखते हुए अपील विचारणीय नहीं है, खारिज कर दिया जाता है।

डी.

ई.

14. विशेष न्यायाधीश ने विशेष रूप से अपीलार्थी के खिलाफ इस आधार पर निर्णय दिया है कि 1963 के अधिनियम की धारा 18 के अर्थ के भीतर दायित्व की स्वीकृति थी।यह निष्कर्ष कि धारा 18 के अर्थ के भीतर दायित्व की स्वीकृति थी, इस परिकल्पना पर आधारित है कि 1963 का अधिनियम आकर्षित होगा।तथापि, विशेष न्यायालय के निर्णय में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी स्थिति में अभिरक्षक एल. एस. सिंथेटिक्स लिमिटेड (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए 1992 के अधिनियम के तहत राशि की वसूली करने का हकदार और उत्तरदायी है।

एफ.

15. एल. एस. सिंथेटिक्स लिमिटेड (उपरोक्त) में, अपीलार्थी ने एक अधिसूचित पक्ष से अल्पकालिक ऋण प्राप्त किया था।अभिरक्षक ने अपीलार्थी से ऋण का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा था।अधिसूचित पक्ष ने विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की जिसमें अपीलार्थी को उसकी ओर से अभिरक्षक को भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई।अपीलार्थी का तर्क था

जी.

9 अमर नाथ बनाम हरियाणा राज्य (1977) 4 एस. सी. सी. 137

एच.

कि दावा सीमितता से वर्जित था क्योंकि उसने 1993 में अभिरक्षक को विचाराधीन राशि का पूरा विवरण प्रस्तुत किया था।यह पूछे जाने पर कि क्या अधिसूचित पक्ष के दावे को सीमा द्वारा वर्जित किया गया है, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सीमा अधिनियम

के प्रावधानों का कोई आवेदन नहीं है, "जहां तक कुर्क की गई संपत्ति के निपटान के संबंध में विशेष न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों का संबंध है।"फैसले का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:“37. हालाँकि, हम यह जोड़ सकते हैं कि अधिसूचित पक्ष की संपत्तियों की कुर्की विशिष्ट उद्देश्यों के लिए है, यानी उसकी देनदारियों के निर्वहन के उद्देश्य से, विशेष न्यायालय उसके संबंध में उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य है।एक बार कुर्क की गई संपत्ति उचित आदेश पारित होने तक कुर्की के तहत रहेगी।अतः यह तर्क देना व्यर्थ है कि उसके संबंध में भी सीमा अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।न्यायालय द्वारा अधिसूचित व्यक्ति के दायित्व के निर्वहन के उद्देश्य से कुर्क की गई संपत्ति के संबंध में अभिरक्षक को निर्देश जारी करते समय एक उचित आदेश पारित करना चाहिए।इतने लंबे समय तक दावे या

बी.

सी.

डी.

अधिसूचित व्यक्ति के दायित्व के निर्वहन के संबंध में विशेष न्यायालय के समक्ष शुरू की गई अन्य कार्यवाही जारी है**,** कुर्की लागू है।से पहले की कार्यवाही

विशेष न्यायालय राशि की वसूली के लिए मुकदमा नहीं है।विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही असाधारण प्रकृति की होती है।अधिसूचित व्यक्ति की संपत्ति के वितरण में लंबा समय लग सकता है लेकिन यह दोहराया जा सकता है क्योंकि विशेष न्यायालय के समक्ष दायर सभी दावों का निपटारा कर दिया जाता है, अधिसूचित व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जाती है।दूसरे शब्दों में, सीमा अधिनियम के प्रावधान अन्य बातों के साथ-साथ केवल तभी लागू होंगे जब कोई मुकदमा दायर किया जाता है या किसी राशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की जाती है, न कि जहां उक्त अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में अधिसूचित व्यक्ति की देनदारियों के निर्वहन के उद्देश्य से न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित दावों के लिए किसी संपत्ति को लागू करने की आवश्यकता होती है।

ई.

एफ.

[...]

जी.

41 [...] इसलिए, हमारी राय है कि सीमा अधिनियम के प्रावधानों का कोई अनुप्रयोग नहीं है, जहां तक कुर्क की गई संपत्ति के निपटान के संबंध में विशेष न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देश आवश्यक हैं।”

एच.

(जोर दिया गया**)**

175

मंजीत सिंह सोधी बनाम ग्राहक और हमारा। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) में कहा गया है कि जहां कोई विशेष कानून 1963 के अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित अवधि से अलग आवेदन के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करता है, तो 1963 के अधिनियम की धारा 3 इस तरह लागू होगी जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई थी, और धारा 4 से 24 के प्रावधान इस हद तक लागू होंगे कि इसे विशेष कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया गया है। एल. एस. सिंथेटिक्स लिमिटेड (उपरोक्त) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) 1992 के अधिनियम पर लागू नहीं होती है क्योंकि 'अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में, सीमा की कोई अवधि निर्धारित नहीं है'।

बी.

16. फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (ऊपर) में, पहले का मुद्दा

यह न्यायालय यह था कि क्या 1992 के अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत याचिका दायर करने में देरी को माफ करने की शक्ति है। उस मामले में, 23 नवंबर 2001 को अपीलार्थी को 1992 के अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत अधिसूचित किया गया था।8 अक्टूबर 2002 को, अपीलार्थी ने 1992 के अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत अधिसूचना पर आपत्ति की याचिका दायर की।विशेष न्यायालय ने इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि यह धारा 4 (2) द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि से परे दायर किया गया था।धारा 4 (2) में प्रावधान है कि धारा 3 (2) के तहत जारी अधिसूचना से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के तीस दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है।इस न्यायालय ने अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि धारा 4 (2) के तहत निर्धारित सीमा निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है और यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 4 (2) स्पष्ट और अयोग्य है और समय सीमा को समाप्त करने के लिए न्यायालय की शक्ति में पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है।नतीजतन, फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (ऊपर) में, यह न्यायालय एल. एस. सिंथेटिक्स लिमिटेड (ऊपर) में अंतिम निष्कर्ष से इस हद तक सहमत था कि 1963 के अधिनियम के प्रावधानों का 1992 के अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत याचिका के संबंध में कोई आवेदन नहीं है।यह देखा गया कि एल. एस. सिंथेटिक्स (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय, 1992 के अधिनियम की धारा 11 के विचार तक सीमित थाः

सी.

डी.

ई.

एफ.

“23. एल. एस. सिंथेटिक्स लिमिटेड की एक बड़ी पीठ के निर्णय में कहा गया है कि सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान अधिनियम पर लागू नहीं होते हैं, हो सकता है कि शुरुआत में हमारे द्वारा तैयार किए गए प्रश्न का निष्कर्ष न निकला हो।वह मामला, जैसा कि अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा उचित रूप से तर्क दिया गया है, अधिनियम की धारा 11 के विचार और उसके तहत विशेष न्यायालय द्वारा कार्यवाही तक सीमित था।यह उस संदर्भ में था कि न्यायालय ने कहा था कि अधिनियम में किसी भी अवधि की सीमा का प्रावधान नहीं था।

जी.

एच.

लेकिन हमारे द्वारा पहले से बताए गए कारणों के लिए हम एल. एस. सिंथेटिक्स में न्यायालय द्वारा किए गए अंतिम निष्कर्ष से इस हद तक सहमत हैं कि सीमा अधिनियम 1963 के प्रावधान अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत याचिका के संबंध में लागू नहीं होते हैं।

24. अंत में, सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) धारा 4 से 24 में निहित प्रावधानों के अनुप्रयोग की बात करती है "केवल उस हद तक जहां तक वे इस तरह के विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं।"यह भाषा, हमारे पहले के तर्क के साथ, विशेष रूप से एल. एस. सिंथेटिक्स [(2004) 11 एस. सी. सी. 456 के संबंध में:(2004) 7 स्केल 427] अपीलार्थी द्वारा उठाए गए आगे के प्रश्न का उत्तर देगा, अर्थात्, क्या सीमा अधिनियम के प्रावधानों के बहिष्करण के प्रश्न पर विशेष/स्थानीय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ में या विशेष/स्थानीय अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में, समग्र रूप से, पहले विकल्प की पुष्टि करके अलग से विचार किया जाना चाहिए।इसलिए हमें यह तय करने के लिए नहीं कहा जाता है कि क्या विशेष न्यायालय के समक्ष पहली बार पेश किए गए या धारा 9-ए (2) के तहत विशेष न्यायालय में स्थानांतरित किए गए दावे सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधानों को आकर्षित करेंगे। इस अपील के उद्देश्य के लिए यह अभिनिर्धारित करना पर्याप्त है कि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29 (2) विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 4 (2) के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होती है।चूँकि अपीलार्थी की आपत्ति की याचिका उस धारा के तहत निर्धारित अवधि से बहुत अधिक दायर की गई थी, इसलिए विशेष न्यायालय ने याचिका को सीमित रूप से खारिज करने

में सही था।अपील को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है लेकिन लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

17. इस समय 1963 के अधिनियम की धारा 18 पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। 1963 के अधिनियम की धारा 18 में कहा गया है कि यदि किसी अधिकार के संबंध में किसी मुकदमे या आवेदन के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले लिखित रूप में दायित्व की स्वीकृति की जाती है, तो उस समय से सीमा की एक नई अवधि की गणना की जाएगी जब स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए गए थे।धारा 18 के स्पष्टीकरण (ग) में कहा गया है कि किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन को किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में आवेदन नहीं माना जाएगा।

जी.

18. वर्तमान मामले में, विशेष न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि अपीलार्थी के 22 फरवरी 2018 के पत्र द्वारा दायित्व की स्वीकृति थी। उस निष्कर्ष पर हमला करने की कोशिश की जाती है ए

एच.

177

मंजीत सिंह सोधी बनाम ग्राहक और हमारा। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अपीलार्थी द्वारा यह आग्रह करते हुए कि 1963 के अधिनियम की धारा 18 के तहत दायित्व की स्वीकृति सीमा की अवधि के भीतर होनी चाहिए और वर्तमान मामले में यह परीक्षण संतुष्ट नहीं है।दूसरी ओर, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि विशेष न्यायालय के निर्णय का आधार कि 1963 का अधिनियम आकर्षित होगा, इस निर्णय के विपरीत चलेगा।

बी.

एल. एस. सिंथेटिक्स लिमिटेड (ऊपर) में न्यायालय।

19. एल. एस. सिंथेटिक्स लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर, विशेष न्यायालय द्वारा जारी किए गए अंतिम निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।आक्षेपित आदेश में निहित टिप्पणियां परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण के लिए निर्देश जारी करने के उद्देश्य से थीं और अभिरक्षक को यह आग्रह करने से नहीं रोकेंगी कि 1963 के अधिनियम का निष्पादन आवेदन पर कोई आवेदन नहीं था जो 28 फरवरी 2003 की डिक्री को लागू करने के लिए दायर किया गया था।परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण के लिए जारी किए गए निर्देश और अन्य परिणामी निर्देश इस अपील में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।20. अपीलार्थी को निष्पादन आवेदन में अपनी प्रस्तुतियों का आग्रह करने के अपने अधिकार के अधीन संपत्ति का खुलासा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाता है।इस बीच, न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त निर्देशानुसार चार सप्ताह के भीतर परिसंपत्तियों का खुलासा करने की शर्त पर गिरफ्तारी के लिए आवेदन को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि निष्पादन आवेदन का निर्णय नहीं हो जाता।हम विशेष न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर निष्पादन आवेदन का निपटारा करें।

सी.

डी.

ई.

21. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।22. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

एफ.

अंकित ज्ञान

अपील का निपटारा किया गया।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

जी.

एच.